अनुसूचित जातियों के सामाजिक समावेशन में शैक्षिक कारकों की भूमिका का अध्ययन

अखिलेश कुमार पटेल एवं डॉ0 यतीन्द्र मिश्रा*
शोधार्थी, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर समाज विज्ञान संस्थान,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ0प्र0)
*एसोसिएट प्रोफेसर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ0प्र0)

भूमिका :

प्राचीन काल से भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों की स्थिति दयनीय रही है। अनुसूचित जातियों को मानवाधिकारों तथा जीवन जीने के मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार भी अनुसूचित जातियों को प्राप्त नहीं था। समाज में अनुसूचित जातियों को दोयम दर्जा प्रदान किया गया था। सामातिक स्तरीकरण में अनुसूचित जातियों की स्थिति सबसे निचले पायदान पर थी। विभिन्न सामाजिक प्रतिबन्धों का अनुसूचित जातियों को सामना करना पड़ता था। परणामस्वरूप उनकी स्थिति दिन–प्रतिदिन दयनीय होती गयी। स्वतन्त्रता के बाद अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रयास किये गये। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए समानता तथा स्वतन्त्रता जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रदान किया गया। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु ''अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1956'' पारित किया गया। सामाजिक–आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए विविध प्रावधान किये गये। संवैधानिक तथा मानवाधिकारों के संरक्षण तथा सामाजिक समावेश के लिए ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति अधिनियम 1990'' के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया।

भारतीय समाज में बदलती हुयी परिस्थितियों के कारण अनुसचित जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए ''सामाजिक समावेशन'' की बात की जाने लगी है। सामाजिक समावेशन से तात्पर्य समाज के समस्त वर्गो का सामाजिक संसाधनों तथा अवसरों तक पहुँच से है जिससे की साामजिक न्याय को सुनिश्चित तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके।

शिक्षा एक त्रिध्रुवीय सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और शैक्षिक पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है। शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की भूमिका प्राचीन काल से लेकर आज तक अत्यन्त आदर युक्त और सम्मानजनक रही है। एक सुसंगठित पाठ्यक्रम और जिज्ञासु छात्र भी सुयोग्य अध्यापक के अभाव में समुचित ज्ञानार्जन नहीं कर सकते हैं। उपयोगी एवं रुचिकर पाठ्य सामग्री भी कुशल अध्यापक के अभाव में निस्तेज एवं प्राणहीन हो जाती है। अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों में अन्तर्निहित योग्यताओं की पहचान करता है, उनका सही मार्गदर्शन करता है और उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा व्यवस्था के प्रत्येक कालखण्ड में शिक्षक की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण और अनिवार्य रही है। शिक्षा की सम्पूर्ण प्रणाली शिक्षक के परिधि में ही विचरण करती है। शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था की जीवन्तता एवं प्रगति का आधार माना जाता है। शिक्षक ही समाज में जागृति, परिवर्तन और नव निर्माण का आधार तैयार करता है। शिक्षक को समाज का सुधारक, निर्माता और दिशा निर्देशक कहा जाता है। एक शिक्षक देश के भावी नागरिकों को अपने आचरण, कार्य व्यवहार एवं ज्ञान से प्रभावित करके उन्हें भावी चुनौतियों से निपटने हेतु तैयार करता है। किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिकों का निर्माण करने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। शिक्षक अपने विशिष्ट कौशल से समाज की नव–संरचना करता है, इसीलिए उसे समाज का अभियन्ता (Engineer of Society) कहा जाता है।

समावेशी शिक्षा– समावेशी शिक्षा सामान्य एवं विशेष बच्चों को एक साथ सम्मिति करते हुए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने या सिखाने का प्रयास है। यूनेस्को ने अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन, जेनेवा (2008) में स्पष्ट किया कि ''समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर जीवन को समृद्ध बनाती है। अतिसंवेदनशील एवं सीमांत समूहों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है। समावेशी गुणात्मक शिक्षा का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है।

शिक्षा से सम्बन्धित बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम विधेयक संसद द्वारा 4 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था। यह कानून जम्मू कश्मीर प्रांत को छोड़कर पूरे देश में 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार कोई कानून, प्रधानमंत्री के भाषण में अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रभावी रूप में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि ''हम सभी बच्चों के लिए लिंग भेद या सामाजिक श्रेणियों के भेद के बिना शिक्षा की उपलब्धता के प्रति प्रतिबद्ध है। यह शिक्षा ही है जो बच्चों को कौशल (निपुणताएँ), ज्ञान, मान्यताएँ और मनोवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाती है, जो भारत का सक्रिय और उत्तरदायी नागरिक होने के लिए जरूरी है।

अध्ययन की आवश्यकता :

शिक्षा सामाजिक विकास का वाहक है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आर्थिक कारक होती है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की पहुँच अंतिम पायदान तक होनी आवश्यक है। जहाँ तक अनुसूचित जातियों में शिक्षा की पहुँच का प्रश्न है तो विभिन्न प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जातियों की शैक्षिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सामाजिक समावेशन में भी शिक्षा की विशेष भूमिका होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करते हुये गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया, जिससे कि गरीब तथा कमजोर वर्गो की शैक्षिक स्थिति में सुधार करते हुये उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। आर.टी.ई. एक्ट ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा दिया है। परन्तु किस स्तर तक इसने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया, इसको जानने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है।

उद्देश्य :

1. अनुसूचित जातियों के सामाजिक समावेशन में शैक्षिक कारकों की भूमिका का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ :

1. अनुसूचित जातियों के सामाजिक समावेशन में शैक्षिक कारक अपनी उपयोगी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं।

अध्ययन विधि :

प्रस्तुत अध्ययन में क्षेत्र अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है जिसमें अनुसूचित जातियों के बच्चों एवं अभिभावकों से उनके सामाजिक समावेशन में शैक्षिक कारकों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। न्यादर्श के रूप में बुन्देलखण्ड के झांसी जनपद के ग्रामीणांचलों को लिया गया है जिसमें दो ग्राम पंचायतों के 25–25 कुल 50 अनुसूचित जातियों के उत्तरदाताओं का चयन यादृच्छिक रूप में किया गया है। इनसे शैक्षिक समावेशन की स्थिति समझने हेतु स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयाग किया गया है। प्राप्त समंकों का विश्लेषण प्रतिशतमान की गणना के आधार पर किया गया है।

निष्कर्ष विवेचन :

क्रमांक	कथन	प्रतिक्रिया	
		हाँ प्रतिशत	नहीं प्रतिशत
1	क्या आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में जानते हैं?	48	52
2	क्या आप जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम किससे सम्बन्धित हैं?	45	55
3	क्या आप जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है?	75	25
4	क्या आप जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कितने वर्ष के बच्चों की शिक्षा दी जाती है?	42	58
5	क्या आपके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं?	45	55
6	क्या आपको पता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निजी स्कूलों में नामांकन होता है?	38	62
7	क्या आपको पता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम से निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत नामांकन किया जाता है?	36	64
8	बच्चों की शिक्षा प्राप्त करना किस अधिकार में शामिल है?	40	60
9	क्या आप जानते हैं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में किस कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है?	55	45
10	क्या आप जानते हैं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है?	30	70

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि अनुसचित जातियों के सामाजिक समावेशन में शैक्षिक कारकों की भूमिका के सन्दर्भ में ज्यादातर अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम जैसे मूल अधिकार व मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी की कमी है। मात्र 48 प्रतिशत अभिभावकों को ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पता है 52 प्रतिशत अभिभावक इसके प्रति अनभिज्ञता व्यक्त किये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किससे सम्बन्धित है इसके बारे में मात्र 45 प्रतिशत अभिभावकों को जानकारी है जबकि 55 प्रतिशत अभिभावक इस अधिनियम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चो को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है किन्तु इसकी भी जानकारी केवल 75 प्रतिशत अभिभावकों को ही है 25 प्रतिशत अभिभावक इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कितने आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है इसके बारे में अभिभावकों की अनभिज्ञता दर ज्यादा है। इसके कारण 55 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाकर निजी विद्यालयों में पढ़ाना ज्यादा लाभकारी मानते हैं। जबकि प्राइवेट विद्यालयों में भी गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित है किन्तु इसके बारे में केवल 36 प्रतिशत अभिभावकों को ही जानकारी है 64 प्रतिशत अभिभावक इसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसी आयु वर्ग के विद्यार्थियो के लिए है इसके बारे में मात्र 45 प्रतिशत अभिभावकों को ही जानकारी है इसके अतिरिक्त शिक्षा के अधिकार अधिनिमय को कब लागू किया गया यह भी अधिकांश लोगों को पता नहीं है।

निष्कर्ष :

उक्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों सामाजिक समावेशन में शैक्षिक कारकों के अन्तर्गत महत्वाकांक्षी शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी उनके शैक्षिक वंचन को खत्म करने में पूरी तरह कारगर नहीं हो पा रहा है इसका प्रमुख कारण यह है कि उन्हें इसके सन्दर्भ में समुचित संज्ञान नहीं बन पाया है। इस अधिनियम के बारे में अभिभावकों को जानकारी न होने से निजी संस्थान उनसे उच्च शुल्क वसूलते हैं जिसके कारण वे अक्षम होने पर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं जिसके अभाव में उनका समावेशन रूक जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अनुसूचित जातियों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए निजी संस्थानों में भी 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है लेकिन इसके प्रति अभिभावकों में अज्ञानता है जिसके कारण वे इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इस तरह अनुसूचित जातियों के सामाजिक समावेशन में सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में माने जाने वाली शिक्षा के लिए अनिवार्य एवं मौलिक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने में समस्या आ रही है क्योंकि अभिभावकों को केवल इसके आधारभूत सम्प्रत्ययों की जानकारी है लेकिन इसके तकनीकी पक्षों की जानकारी न होने के कारण वे इसका पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहा हैं जिसका कुप्रभाव उनके सामाजिक समावेशन पर पड़ता है।

सन्दर्भ सूची–

1. शर्मा, पी.एन. (2018) : भारत में सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएँ, भारत बुक सेंटर, लखनऊ।
2. आहुजा, राम (2017) : सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. रावत, हरिकृष्ण (2016) : सामाजिक शोध की विधियाँ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
4. आहुजा, राम (2016) : सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
5. राजोरा, डॉ0 सुरेश चन्द्र (2016) :समकालीन भारत की समस्याएँ, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, राजस्थान।
6. शर्मा, जी.एल. (2015) : सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
7. सिंह, डॉ0 रामगोपाल (2010) : सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
8. कश्यप, सुभाष (2006) : भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली।
9. http://www.mhrd.gov.in/rte.